**चेक लिस्ट क्रमांक 26 – रजिस्ट्री में परिवर्तन**
**टन भार में परिवर्तन, प्रमाणित चालक दल आवास आदि।**

| क्रमांक | आवश्यकताएँ | हाँ/नहीं |
| --- | --- | --- |
| 1 | मालिक के अधिकृत व्यक्ति को परिवर्तन की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी। |  |
| 2 | टन भार में परिवर्तन हेतु: क्लास द्वारा अनुमोदित टन भार गणना की प्रति।प्रमाणित चालक दल आवास में परिवर्तन हेतु: (i) क्लास द्वारा अनुमोदित चालक दल आवास योजना की प्रति। (ii) IRS द्वारा चालक दल आवास की स्वीकृति का पत्र। |  |
| 3 | नेट टन भार में परिवर्तन हेतु: मूल C&M नोट (दस्तावेज़) को विधिवत सत्यापित करके रजिस्ट्रार को वापस करना होगा। |  |
| 4 | टन भार में परिवर्तन हेतु: सर्वेक्षण का मूल प्रमाणित प्रमाणपत्र। |  |
| 5 | अंतिम कमान परिवर्तन की प्रति, जो MMD द्वारा विधिवत सत्यापित हो। |  |
| 6 | यह घोषणा कि वर्तमान पंजीकरण प्रमाणपत्र, नया संशोधित प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर रद्दीकरण हेतु सौंप दिया जाएगा। |  |
| 7 | भारत कोष भुगतान रसीद ₹1000/- की। |  |

**नोट**: चेकलिस्ट के अनुसार संलग्न/संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोप्रति कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी होनी चाहिए। उपरोक्त सत्यापन और मुहर के बिना कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अगर आप इसे पीडीएफ या वर्ड दस्तावेज़ में भी चाहें, तो मैं वह भी बना सकता हूँ।